

झारखण्ड विनियोग (संख्या-03) विधेयक, 2013

विषय सूची

धाराएँ ।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।
2. 2013-14 वर्ष के लिये झारखण्ड राज्य की संचित निधि में से 796,78,24,802 (सात सौ छियान्बे करोड़ अठत्तर लाख चौबीस हजार आठ सौ दो) रुपये की निकासी ।
3. विनियोग-।

अनुसूची ।

झारखण्ड विनियोग (संख्या-03) विधेयक, 2013

झारखण्ड राज्य की संचित निधि में से 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष की सेवा के लिए शोधन और विनियोग प्राधिकृत करने के निमित्त विधेयक ।

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान-मंडल द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ - (i) यह अधिनियम झारखण्ड विनियोग (संख्या-03) अधिनियम, 2013 कहा जा सकेगा ।
(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखंड राज्य में होगा ।
(iii) यह 1ली अप्रैल, 2013 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

2. 2013-14 वर्ष के लिए झारखण्ड राज्य की संचित निधि में से 796,78,24,802 (सात सौ छियान्बे करोड़ अठत्तर लाख चौबीस हजार आठ सौ दो) रुपये की निकासी ।- झारखण्ड राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित सेवाओं के बारे में, 1ली अप्रैल, 2013 को शुरू होनेवाले वर्ष में भुगतान के सिलसिले में होने वाले विभिन्न व्ययों की पूर्ति के लिए कुल 796,78,24,802 (सात सौ छियान्बे करोड़ अठत्तर लाख चौबीस हजार आठ सौ दो) रुपये की, जो अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित राशियों से अधिक न होंगे, निकासी की जा सकेगी ।

3. विनियोग ।- इस अधिनियम के द्वारा झारखण्ड राज्य की संचित निधि में से निकासी के लिए प्राधिकृत राशियां 1ली अप्रैल, 2013 को प्रारम्भ होने वाले वर्ष से 31वीं मार्च, 2014 तक संबंधित अनुसूचियों में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए और उनके सम्बन्ध में विनियोजित की जायेंगी ।

अनुसूची / Schedule

(धाराएं 2 और 3 देखें / See Article 2 & 3)

मांग/ विनियोग Demand/ Appropriation	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग / Services of Demand or Appropriation	राजस्व/पूंजी Revenue/ Capital	अनाधिक राशियां / Amount not to exceed		
			झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिए गए अनुदान / Grants approved by the Jharkhand Assembly	राज्य की संघित निधि पर प्रभृत / Charged on the State Consolidated Fund	योग / Total
			मतदेय / Voted	प्रभृत / Charged	
1	2	3	4	5	6
1	कृषि एवं गन्ना विकास विभाग Agriculture and Sugarcane Development Department	राजस्व/Revenue	101530000	----	101530000
		पूंजी/Capital	----	----	
2	पशुपालन विभाग Animal Husbandry Department	राजस्व/Revenue	23944000	----	23944000
		पूंजी/Capital	----	----	
4	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग Cabinet Secretariat and Coordination Department	राजस्व/Revenue	4753000	----	4753000
		पूंजी/Capital	----	----	
9	सहकारिता विभाग Co-operative Department	राजस्व/Revenue	----	----	41600000
		पूंजी/Capital	41600000	----	
10	ऊर्जा विभाग Energy Department	राजस्व/Revenue	3001880000	----	3001880000
		पूंजी/Capital	----	----	
12	वित्त विभाग Finance Department	राजस्व/Revenue	1492670000	----	1492670000
		पूंजी/Capital	----	----	
17	वित्त (वाणिज्य कर) विभाग Finance (Commercial Tax) Department	राजस्व/Revenue	40000	----	40000
		पूंजी/Capital	----	----	
19	वन एवं पर्यावरण विभाग Forest and Environment Department	राजस्व/Revenue	45714504	----	45714504
		पूंजी/Capital	----	----	
20	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग Health, Medical Education and Family Welfare Department	राजस्व/Revenue	420000	----	110420000
		पूंजी/Capital	110000000	----	
22	गृह विभाग Home Department	राजस्व/Revenue	378983000	----	378983000
		पूंजी/Capital	----	----	
24	सूचना एवं जन संपर्क विभाग Information and Public Relation Department	राजस्व/Revenue	3000	----	3000
		पूंजी/Capital	----	----	
25	सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग Institutional Finance and Programme Implementation Department	राजस्व/Revenue	495000	----	495000
		पूंजी/Capital	----	----	

अनुसूची / Schedule

(धाराएं 2 और 3 देखें / See Article 2 & 3)

मांग/ विनियोग Demand/ Appropriation	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग / Services of Demand or Appropriation	राजस्व/पूंजी Revenue/ Capital	अनाधिक राशियां / Amount not to exceed		
			झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिए गए अनुदान / Grants approved by the Jharkhand Assembly	राज्य की संचित निधि पर प्रभृत / Charged on the State Consolidated Fund	योग / Total
			मतदेय / Voted	प्रभृत / Charged	
1	2	3	4	5	6
26	श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग Labour, Employment and Training Department	राजस्व/Revenue	62358000	----	62358000
		पूंजी/Capital	----	----	
27	विधि विभाग Law Department	राजस्व/Revenue	9500000	----	9500000
		पूंजी/Capital	----	----	
28	झारखण्ड का उच्च न्यायालय High Court of Jharkhand	राजस्व/Revenue	----	12620000	12620000
		पूंजी/Capital	----	----	
29	खन एवं भूतत्व विभाग Mines and Geology Department	राजस्व/Revenue	5658000	----	5658000
		पूंजी/Capital	----	----	
30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग Minorities Welfare Department	राजस्व/Revenue	1770000	----	1770000
		पूंजी/Capital	----	----	
31	संसदीय कार्य Parliamentary Affairs	राजस्व/Revenue	1481000	----	1481000
		पूंजी/Capital	----	----	
33	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग Personnel and Administrative Reforms Department	राजस्व/Revenue	1638000	----	1638000
		पूंजी/Capital	----	----	
35	योजना एवं विकास विभाग Planning and Development Department	राजस्व/Revenue	3964000	----	3964000
		पूंजी/Capital	----	----	
36	पियजल एवं स्वच्छता विभाग Drinking Water and Sanitation Department	राजस्व/Revenue	93000	----	93000
		पूंजी/Capital	----	----	
39	आपदा प्रबंधन विभाग Disaster Management Department	राजस्व/Revenue	50400000	----	50400000
		पूंजी/Capital	----	----	
40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग Revenue and Land Reforms Department	राजस्व/Revenue	482000	----	482000
		पूंजी/Capital	----	----	
43	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग Science and Technology Department	राजस्व/Revenue	9980000	----	9980000
		पूंजी/Capital	----	----	
44	मानव संसाधन विकास विभाग Human Resource Development Department	राजस्व/Revenue	18000	----	18000
		पूंजी/Capital	----	----	
45	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग Information Technology Department	राजस्व/Revenue	1500000	----	1500000
		पूंजी/Capital	----	----	

मांग
Dt
Appr

6

अनुसूची / Schedule

(धाराएं 2 और 3 देखें / See Article 2 & 3)

मांग/ विनियोग Demand/ Appropriation	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग / Services of Demand or Appropriation	राजस्व/पूंजी Revenue/ Capital	अनाधिक राशियां / Amount not to exceed		
			भारखण्ड विधान सभा द्वारा दिए गए अनुदान / Grants approved by the Jharkhand Assembly	राज्य की संचित निधि पर प्रभृत / Charged on the State Consolidated Fund	योग / Total
			मतदेय / Voted	प्रभृत / Charged	
1	2	3	4	5	6
46	पर्यटन विभाग Tourism Department	राजस्व/Revenue	6295000	----	6295000
		पूंजी/Capital	----	----	
48	नगर विकास एवं आवास विभाग Urban Development and Housing Department	राजस्व/Revenue	666066000	----	666066000
		पूंजी/Capital	----	----	
51	कल्याण विभाग Welfare Department	राजस्व/Revenue	3234000	----	3234000
		पूंजी/Capital	----	----	
53	मत्स्य Fishery	राजस्व/Revenue	----	----	3680000
		पूंजी/Capital	3680000	----	
54	डेयरी Dairy	राजस्व/Revenue	3780000	----	103780000
		पूंजी/Capital	100000000	----	
55	ग्रामीण कार्य विभाग Rural Works Department	राजस्व/Revenue	45158792	----	1422525298
		पूंजी/Capital	1377366506	----	
56	पंचायती राज एवं एन०आर०ई०पी० (विशेष प्रमंडल) विभाग Panchayati Raj and N.R.E.P. (Special Divisional) Department	राजस्व/Revenue	1250000	----	1250000
		पूंजी/Capital	----	----	
58	माध्यमिक शिक्षा Secondary Education	राजस्व/Revenue	374000000	----	374000000
		पूंजी/Capital	----	----	
60	समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग Social Welfare, Women and Child Development Department	राजस्व/Revenue	23500000	----	23500000
		पूंजी/Capital	----	----	
योग /Total		राजस्व/Revenue	6322558296	12620000	6335178296
		पूंजी/Capital	1632646506	----	1632646506
महायोग / Grand Total			7955204802	12620000	7967824802

उद्देश्य और हेतु

राज्य की संचित-निधि से कोई राशि भारत का संविधान के अनुच्छेद-204 के उपबंधों के अधीन निमित्त विधि के अनुसार ही विनियोजित की जायेगी, अन्यथा नहीं। ऐसी विधि में यह व्यवस्था रहेगी कि :-

(क) विधान-सभा द्वारा किये गये अनुदानों, और

(ख) राज्य की संचित-निधि पर भारित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित कुल राशि राज्य की संचित-निधि में से विनियोजित की जायेगी।

वर्तमान विधेयक का उद्देश्य है कि राज्य की संचित-निधि में से 796,78,24,802 (सात सौ छियान्बे करोड़ अठत्तर लाख चौबीस हजार आठ सौ दो) रुपये की राशि का शोधन और विनियोग प्राधिकृत किया जाय, ताकि इक्तीसवीं मार्च, 2014 को समाप्त होनेवाले वर्ष में शोधन के दौरान आनेवाले भारों की पूर्ति की जा सके।

(राजेन्द्र प्रसाद सिंह)
भार-साधक सदस्य